जायेगा, जिससे कि वे इस वर्ष पीने के पानी की अभूतपूर्व समस्या से निपट सकें.

(ग) क्या इस संबंध में अन्य राज्यों से भी कोई प्रस्ताव आये हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कठिन समस्यावाली 1100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये प्रत्येक में एक हैंडपम्प लगाने के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई शक्तियों के अंतर्गत प्रति हैंडपम्प 18000 रुपये का अधिकतम लागत के अन्दर योजनाओं को स्वीकृति सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि 18000 रुपये से अधिक लागत का उनके द्वारा उनके राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पूरा किया जाना है। तथापि, सामान्य केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 18000 रुपए से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिये अलग-अलग योजना के गुण-दोष और तकनीकी ब्यौरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति दी जाती है।

Discontinuance of the purchase of pure Drinks brands of soft drinks by railways

1147. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have stopped the purchase of pure Drinks brands of soft drinks;

(b) if so, since when; and

(c) the reasons for not purchasing the soft drinks of Pure Drinks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Order was issued on 18th January, 1990.

(c) M/s Oriental Building & Furnishing Company Ltd. a sister concern of Pure Drinks Ltd. and M/s Pure Drinks themselves are in unauthorised occupation of railway land in New Delhi worth crores of rupees. Not only thesaid group failed to pay to the Railways large amounts due for the use of land in the past, but they continue to occupy and use the said land without any right and without paying any dues.

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कर्मचारी

1148. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत काम करने वाली लगभग 5 लाख महिला कर्मचारी अत्यन्त दयनीय स्थिति में रह रही हैं; यदि हां, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ियां चल रही हैं और किन किन सेवा-शर्तों के अधीन महिला आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाती है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) देश में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 2.70 लाख आंगनबाडी कार्यकर्ता और इतनी ही संख्या में सहायिकाएं हैं। योजना में समुदाय की सहभागिता एक अनिवार्य घटक है। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्थानीय समुदाय से अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता होती है उनकी स्थिति दयनीय नहीं होती और सरकार ने उनकी स्थितियों में सुधार करने के

लिए समय समय पर कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

– 1985 में उनकी वार्षिक छुट्टियां 12 दिनों से बढ़ा कर 20 दिन कर दी गई।

– 1989 में यह व्यवस्था कर दी गई कि 90 दिनों की वतन सहित प्रसूति छुट्टी जो एक बार दी जाती थी अब दो बार उसका लाभ उठाया जा सकता है।

– 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले नान मैट्रिक आंगनाड़ी कार्यकर्ता जुलाई, 1986 से मैट्रिकुलेट आंगनबाड़ी कायकर्ता के समान मानदेय प्राप्त करेंगे।

– जनवरी, 1988 में यह निश्चय किया गया कि सुपरवाईजरों की नियुक्ति के मामले में 8 से 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कायकर्ता को तरजीह दी जायेगी।

– 1989 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को आंगनबाड़ी केन्द्र में पूरक पोषाहार लेने के लिए अधिकृत किया गया।

(ख) देश में अब तक स्वीकृत 2.70 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। आंगन बाड़ी कायकर्ता स्वैच्छिक और अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं जो स्थानीय समुदाय से लिए जाते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन 4 घंटे प्रति दिन कार्य करना होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरक पोषाहार घर घर का दौरा करके लाभ-भोक्ताओं का चयन करने रोग-निरोधन टीकों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों से समन्वय करने और सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने के जिम्मेदार होते है। इन कायकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों, जो आई. सी.डी.एस. योजना के लिए कार्यकारी ऐजेंसियां होती हैं के द्वारा की जाती है उन्हें निम्नलिखित मानदेय दिया जाता है :–

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	प्रतिमाह मानदेय की राशि (रुपए)
– नान-मैट्रिकुलेट	225/– रु.
नान-मैट्रिक जिसे 5 वर्ष अवैतनिक कार्य के अनुभव हो	250/– रु.
– नान-मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य का 10 वर्षों से अधिक अनुभव हो	275/– रु.
– मैट्रिकुलेट	275/– रु.
– मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य करते हुए 5 वर्ष का अनुभव हो	300/– रु.
– मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य करते हुए 10 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव हो	325/– रु.
(ख) सहायिका	110/– रु.